समक्ष न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष मध्यप्रदेश राजस्व मंडल ग्वालियर

ग/अपील/छिंदवाड़ा/भू०रा०/2017/2533

अपीलार्थी :– **अशोक चौकसे** आयु करीब 67 वर्ष पिता स्व. श्री शंकर लाल जी चौकसे पार्टनर टारमेक कंस्ट्रक्शन कंपनी निवासी शांतिपुरा नागपुर रोड छिन्दवाड़ा, तह. व जिला – छिन्दवाड़ा (म.प्र.)

–: विरूद्ध :–

उत्तरवादीगण :–
(1) **कलेक्टर (खनिज शाखा)** जिला – छिन्दवाड़ा (म.प्र.)
(2) **खनिज अधिकारी जिला अध्यक्ष** कार्यालय छिन्दवाड़ा
(3) **अनुविभागीय अधिकारी सौंसर** जिला छिन्दवाड़ा

श्री कैलाश मिश्रा अधि. द्वारा आज दि 4-8-17 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

नियमित राजस्व अपील अंतर्गत धारा 44 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959

कार्यालय कलेक्टर छिन्दवाड़ा म.प्र. द्वारा राजस्व प्रकरण क्र. 1291/खनिज/2016 पक्षकार मध्यप्रदेश शासन विरूद्ध टारमेक कंस्ट्रक्शन कंपनी पार्टनर अशोक चौकसे में पारित आदेश दिनांक 29.09.2016 जिसके द्वारा तहसील मोहखेड़ जिला छिन्दवाड़ा की ग्राम पंचायत खूनाझिर स्थित ग्राम नारंगी के खसरा नंबर 45 (नया) 17/1 पुराना रकबा 3.000 हेक्टेयर क्षेत्र पर मेसर्स टारमेक कंस्ट्रक्शन कंपनी पार्टनर अपीलार्थी के पक्ष में क्रेशर द्वारा गिट्टी निर्माण हेतु खनिज पत्थर का उत्खनित पट्टा कार्यालयीन आदेश क्र. 10530 दिनांक 16.11.2006 से स्वीकृत किया गया था जिसके निष्पादन की अवधि अनुबंध अनुसार दिनांक 01.12.2006 से दिनांक 30.11.16 तक थी, उपरोक्त पट्टे को तत्काल प्रभाव से पर्यावसित किया गया। उपरोक्त आदेश से दुखी एवं व्यथित होकर अपीलार्थी निम्न आधारों समेत अन्य आधारों पर यह नियमित राजस्व अपील माननीय राजस्व मंडल के समक्ष प्रस्तुत करता है। आलोच्य आदेश दिनांक 29.09.2016 की अपील अपीलार्थी द्वारा मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 1996 के नियम 57 (2) के अंतर्गत प्रारूप 21 में दिनांक 23.05.17 को अपील संचालक भौमिकी तथा खनि. कर्म मध्यप्रदेश 29–ए खनिज भवन अरेरा हिल्स भोपाल को प्रकरण क्र. 58/खनिज/2017 के माध्यम से प्रस्तुत की गई थी जिस पर दिनांक 01.07.2017 को विधिवत् सुनवाई करते हुए संचालक भौमिकी तथा खनि.कर्म के द्वारा आदेश पारित करते हुए अपीलार्थी को दिनांक 29.09.2016 के आदेश के विरूद्ध राजस्व मंडल ग्वालियर में एक माह की अवधि में अपील प्रस्तुत करने के निर्देश तथा उसकी प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करने का निर्देश हुआ है अतः दिनांक 29.09.16 की नियमित राजस्व अपील माननीय राजस्व मंडल के समक्ष प्रस्तुत है।

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – एक/अपील/छिंदवाड़ा/भू.रा./2017/2533 जिला – छिंदवाड़ा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17/1/18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री के.के. द्विवेदी एवं अनावेदक शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता श्री अजय चतुर्वेदी उपस्थित । उभयपक्षों को ग्राह्यता के बिंदु पर सुना गया । 2/ उभयपक्षों कें तर्कों पर विचार किया एवं आलोच्य आदेश का अवलोकन किया । आलोच्य आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि कलेक्टर ने आलोच्य आदेश द्वारा संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म म.प्र. के अपील प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 2909012 एवं उत्खनिपट्टा के संबंध में कलेक्टर, छिंदवाड़ा के आदेश दिनांक 9–4–12 से पर्यावसित करने के आदेश को अपास्त करते हुए प्रकरण में गुणदोषों के आधार पर पुनः निर्णय लेने हेतु प्रत्यवर्ती प्रकरण में उत्खनि पट्टा तत्काल प्रभाव से पर्यावसित किया गया है । इस आदेश के विरूद्ध संहिता की धारा 44 के तहत अपील राजस्व मंडल में प्रचलन योग्य है इस संबंध में कोई वैधानिक स्थिति अपीलार्थी के अधिवक्ता स्पष्ट नहीं कर सके । यदि तर्क के लिए यह मान लिया जाये कि कलेक्टर ने भू–राजस्व संहिता के तहत आदेश पारित किया है (यद्यपि उनके आदेश से यह स्पष्ट नहीं है) तब भी उसकी अपील आयुक्त न्यायालय में होगी नाकि राजस्व मंडल में । 3/ प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों से यह भी स्पष्ट होता है कि आवेदक द्वारा कलेक्टर के आलोच्य आदेश के विरूद्ध संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म के समक्ष भी म0प्र0 गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 57(2) के तहत अपील पेश की गई है और उक्त अपील की कार्यवाही के दौरान अपीलार्थी द्वारा यह लिखित अनुरोध करने पर कि उनके द्वारा भूमि के मद परिवर्तन के संबंध में राजस्व मंडल के समक्ष अपील की जा रही है अतः अपील के निराकरण तक	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
	स्थगन दिया जाये । संचालक ने उनके अनुरोध पर उन्हें एक माह का समय देते हुए कलेक्टर के आदेश को स्थगित किया है तथा कलेक्टर, छिंदवाड़ा से मूल अभिलेख प्राप्त किये जाने के निर्देश दिए हैं, इस प्रकार उनके समक्ष आज भी आवेदक द्वारा प्रस्तुत अपील लंबित है । 4/ चूंकि कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध सीधे राजस्व मंडल में अपील किये जाने का प्रावधान संहिता की धारा 44 में नहीं है, ऐसी स्थिति में यह अपील प्रचलन योग्य नहीं है । अतः अग्राह्य की जाती है । प्रशा0 सदस्य	